**भारत सरकार**
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4641**
**उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019**

**विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा**

**4641. श्री मितेश रमेशभाई (बकाभाई) पटेल:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**
**मानव संसाधन विकास मंत्री**
**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के तहत एबिलिटी इन एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज (एईसीसी-पर्यावरण अध्ययन) में 8 यूनिट मॉड्यूल का पाठ्यक्रम तैयार किया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की सभी शाखाओं के स्नातक पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को लागू करने के लिए और पर्यावरण अध्ययन पर मॉड्यूल पाठ्यक्रम के अनिवार्य कार्यान्वयन हेतु उचित कदम उठाने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय केंद्रीय / राज्य / प्रांतीय अधिनियमों के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय हैं एवं पाठ्यक्रम के सूत्रीकरण और संशोधन का दायित्व इन विश्वविद्यालयों के ऊपर है।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग में मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसमें पर्यावरण विज्ञान एक अनिवार्य विषय है और विश्वविद्यालयों को, संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्थानीय आवश्यकता और विशेषज्ञता के अनुसार मॉडल पाठ्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद लागू करने के लिए कहा जाता है। । इसके लिए उपयुक्त पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। पर्यावरण विज्ञान पर व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) भी स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

*****